13/1/2026	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद बिजौलियां द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 3/2/2026 को वास्ते निरन्तर बहस (7-11) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
3/2/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निरन्तर बहस (7-11) आगामी दिनांक 10/2/26 को पेश हो।
10/02/2026	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली वास्ते निरन्तर बहस (7-11) आगामी दिनांक 17/2/2026 को पेश हो।
17/2/2026	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली वास्ते निरन्तर बहस (7-11) आगामी दिनांक 10/3/2026 को पेश हो।
10/3/2026	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। पत्रावली दि. 7/4/2026 को वास्ते निरन्तर बहस (7-11) पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां
7/4/26	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र (7-11) पर बहस सुनी गई। पत्रावली में सभी तथ्यों को अध्ययन करने पर गुणावगुण व मेरिट के आधार पर प्रार्थना पत्र (7-11) को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. को स्वीकार करने के कारण पत्रावली को खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 73/2026 दायर दिनांक : 8/4/2026

प्रभुलाल पिता भॅवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी छोटा थड़ौदा हाल मुकाम तलवड़ी कोटा तहसील व जिला कोटा राज0

.........प्रार्थी

बनाम

1. सीजु मेथ्यु पुत्र पी.एम. मेथ्यु जाति इसाई उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. लिजी मेथ्यु पत्नि पी.एम. मेथ्यु जाति इसाई उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

......विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

दिनांक 15/4/2026

– : आदेश : –

प्रार्थना पत्र मै/ हम प्रभुलाल पिता भॅवरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी छोटा थड़ौदा हाल मुकाम तलवड़ी कोटा तहसील व जिला कोटा राज0 जरिये अभिभाषक श्री **जगदीश चन्द धाकड़** एवं **शिवलाल धाकड़** एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते मौजा बिजौलियाकंला पटवार हल्का बिजौलियाकंला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 278 पर आराजी नम्बर 2145/238 कुल किता 01 रकबा 0.3642 हैक्टेयर भुमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 स्थायी के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। **भु–अभिलेख निरीक्षक** बिजौलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढ़ी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट मौजा बिजौलियाकंला पटवार हल्का बिजौलियाकंला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 278 पर आराजी नम्बर 2145/238 कुल किता 01 रकबा 0.3642 हैक्टेयर भुमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/–रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या :–149 / 2024 तारीख दायर **08.11.2024**

अनवान

1. श्री मयंक मेवाड़ा पिता श्री बसन्तीलाल जी जाति मेवाड़ा (कलाल) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्री बसन्तीलाल पुत्र श्री तुलसीराम जी जाति मेवाड़ा (कलाल) उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) (विलोपित, 26.05.2025)

.... वादीगण

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री तुलसीराम जी जाति मेवाड़ा (कलाल) उम्र वयस्क निवासी हरिजन मोहल्ला, पानी की टंकी के पास बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री तुलसीराम जी जाति मेवाड़ा (कलाल) उम्र वयस्क निवासी भीलबावड़ी के पास, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री तुलसीराम जी जाति मेवाड़ा (कलाल) उम्र वयस्क निवासी पोखरनी के देवता के पास, शक्करगढ़ चौराहा, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.... प्रतिवादीगण

–: उपस्थित :–

1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – .... विद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री लक्ष्मीलाल सुराणा – ...... विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 3

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188–189 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
– :प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.:–

–: निर्णय :–

दिनांक : 07 / 04 / 2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1, 3 की ओर से दिनांक 16.09.2025 को आदेश 07 नियम 11 जा .दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

(1) यह कि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय हाजा आप में आदेश 7 नियम 1–3 के तहत वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(2) यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र केवल एक पक्ष में ही प्रस्तुत किया गया है

(3) यह कि वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में कोई शपथपत्र – न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जो आदेश 6 नियम 15 (4) के तहत आवश्यक है।

(4) यह कि वादी द्वारा जो वादपत्र प्रस्तुत किया गया हैं वह व्यवहार प्रक्रिया सहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्ती के हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(5) यह कि व्यवहार प्रक्रिया सहिता के आदेश 07 नियम 11 (घ) (1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि :–

आदेश 07 नियम 11 :– वादपत्र का नामन्जुर किया जाना :–

(घ) 1 (ड़) जहा वह दो प्रतियों में फाईल नही किया जाता है।

(6) यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आदेश 07 नियम 11 के तहत नामन्जुर किये जाने लायक है। एवं न्याय हित में खारीज किया जाना विधि सम्मत होगा।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत खारीज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 3 के प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 का जवाब वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की सीधे बहस का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया गया। पत्रावली को बहस को स्तर पर रखा गया। मौखिक बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में बताई गई कमियों को स्वीकार किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा कमियों की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया ना हि कोई न्यायोचित विधि सम्मत प्रयास किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 1, 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 का अध्ययन करने एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन करने पर मेरिट व गुणावगुण के आधार पर न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. विधि सम्मत एंवं न्यायोचित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रतिवादीगण सं. 1, 3 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी. आज दिनांक 07.04.2026 को **स्वीकार कर पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार** किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में दिनांक 07/04/2026 को सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलयां